

अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर की ओर से मुख्य अभियंता (पथ) सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर को लिखे पत्र क्रमांक: एफ.7(225)/अनु-2/2017/डी-3/ दिनांक: 27/5/2017 की प्रतिलिपि।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में ग्रामीण सड़क मद के अन्तर्गत करौली जिला विधानसभा क्षेत्र सपोटरा में करसाई से गेरई व कोटा से पाटौर सड़क कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति याचक।

निर्देशानुसार राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से जिला करौली में निम्नानुसार निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में रुरल रोड मद में कुल राशि रु. 210.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदत्त की जाती है:-

क्र.सं	जिला	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी में)	राशि (लाख में)	श्रेणीवार राशि (लाख में)	जोब नं०
1	करौली	करसाई से गेरई	2.00	75.00	39.75 18.00 17.25	50/5054/RR/Gn/P/2017-18 50/5054/RR/SC/P/2017-18 50/5054/RR/ST/P/2017-18
2	करौली	कोटा से पाटौर	3.00	135.00	71.55 32.40 31.05	51/5054/RR/Gn/P/2017-18 51/5054/RR/SC/P/2017-18 51/5054/RR/ST/P/2017-18
			5.00	210.00		

उक्त व्यय निम्न बजट मद में भारित किया जावेगा:-

Rural Road Budget Head		
General	SC	ST
5054-सड़कों तथा सेतुओं पूंजीगत परियोजनाएँ 04-जिला एवं अन्य सड़कें 800-अन्य व्यय (02)-ग्रामीण सड़क निर्माण कार्य (01)-ग्रामीण सड़कें 74-सड़कों तथा पुलों का निर्माण कार्य	5054-सड़कों तथा सेतुओं पूंजीगत परियोजनाएँ 04-जिला एवं अन्य सड़कें 709-अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संयोजन (05)- ग्रामीण सड़कें 74-सड़कों तथा पुलों का निर्माण कार्य	5054-सड़कों तथा सेतुओं पूंजीगत परियोजनाएँ 04-जिला एवं अन्य सड़कें 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (07)- ग्रामीण सड़कें 74-सड़कों तथा पुलों का निर्माण कार्य

उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय व आगामी वर्षों के लिए निर्धारित आयोजना सीमा के अन्तर्गत ही किया जावे।
उक्त स्वीकृति प्रशासनिक विभाग के क्रमांक 6014/एफ/पी डब्ल्यू डी/2017 दिनांक 23/5/2017 से प्राप्त स्वीकृति की अनुपालना में जारी की जा रही है।

कार्यालय मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ.7(225)/अनु-2/2017/डी-35

दिनांक: 35/05/2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

- 1-अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, संभाग-भरतपुर।
- 2-अधीक्षण अभियंता, सां.नि.वि. विभाग, वृत्त -करौली।
- 3-अधीक्षापी अभियंता, सां.नि.वि. विभाग, जिला खण्ड - सपोटरा।
- 4- मु० अभियंता (पथ)/ अधीक्षण अभियंता (पथ)/ अधिशाही अभियंता (पी एण्ड एम-II)/ उपनिदेशक, सांख्यिकी/ बजट लिपिक (पथ)/ कम्पाईलेशन लिपिक, मुख्य अभियंता कार्यालय, सां.नि.वि., राजस्थान, जयपुर।

तकनीक में कार्य के विरुद्ध व्यय करने में, साहदार लेखों में शामिल करते समय भविष्य में स्वीकृति से संबंधी सभी संदर्भों में कार्य का जोब नं. जैसा कार्य को आवंटित किया गया है व कार्य के विवरण के समक्ष अंकित किया गया है, वसा ही बिना बदलाव के लिखा जावे। कार्य की राशि प्रोसेस (प्रतिभार) सहित है। व्यय, आवंटित बजट सीमा तक ही किया जावे।

भवदीय

मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव,
सां.नि.वि., राजस्थान, जयपुर

F:\PWD sec II Plan\April 2017\A & F\A&F sanction Hindi.docx

29

1024

copy to B&N PWD Karauli for in barman and Submittal

Proposed within 3 days positively

अधीक्षापी अभियंता
सां.नि.वि., जयपुर, करौली